



Neutral Citation No. -2026:AHC:1644

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 546 वर्ष 2025

आरिफ

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : नरेंद्र प्रताप कुशवाहा, परशुराम बरनवाल

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., राजीव कुमार सिंह, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार राय, निजी प्रतिवादी संख्या 6 से 11 की ओर से विद्वान अधिवक्ता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



श्री राजीव कुमार सिंह तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :-

“परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को निर्देशित किया जाए कि वे थाना- नेबुआ नौरंगिया, परगना- सिधुआ जोबना, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर स्थित पकरियार बाजार में अवस्थित गाटा/खसरा संख्या 198, क्षेत्रफल 0.4130 हेक्टेयर, जो पी.डब्ल्यू.डी. भूमि (सड़क किनारे की पी.डब्ल्यू.डी. भूमि) के रूप में अभिलेखों में दर्ज है, पर किए गए अवैध अतिक्रमण/निर्माण, झोपड़ी (छप्पर) को हटाने हेतु शीघ्र विधिक कार्यवाही करें।”

3. इस न्यायालय ने इस प्रकरण में जिलाधिकारी को अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने हेतु निर्देशित किया था।

4. इस न्यायालय के दिनांक 16.9.2025 के आदेश के अनुपालन में, जिलाधिकारी, कुशीनगर का व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह कथन किया गया है कि 31 अपीलें, जिनका विवरण दिनांक 28.8.2025 के व्यक्तिगत शपथपत्र में उल्लिखित है, संबंधित व्यक्तियों द्वारा लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत दाखिल की गई हैं।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त 31 अपीलों में, आदेश दिनांक 10.9.2025 के प्रवर्तन पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश प्रभावी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत दाखिल उक्त 31 अपीलें अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं, जिनमें अंतरिम आदेश प्रवर्तित है, वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण अपीलीय न्यायालय को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत दाखिल उपर्युक्त 31 अपीलों का, संबंधित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, विधि के अनुसार शीघ्र निर्णय करे।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 6, 2026

सी.प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।